282

1

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर संभाग

प्रकरण क्रमांक– /2016/रिवीजन R4148-II/16

1. नारायण दास पुत्र श्री जानकीदास बैरागी

2. पुरुषोत्तमदास पुत्र श्री जानकीदास बैरागी

निवासीगण–कोलारस जिला शिवपुरी (म0प्र0)

------रिवीजनकर्ता/आवेदक

बनाम

पुरुषोत्तमदास पुत्र श्री कल्याण बैरागी,

निवासी– कोलारस जिला शिवपुरी (म0प्र0)

------रेस्पोडेन्ट/अनावेदक

दिनाँक 6.12.16 को श्री विवेक व्यास का0म0 द्वारा प्रस्तुत।
6.12.16

704
6-12-16 SO

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक–20/2015–16 अपील माल में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 30.11.2016 से दुखी व परिवेदित होकर श्रीमान् के समक्ष यह रिवीजन उचित न्याय हेतु प्रस्तुत की जा रही हैं।

माननीय न्यायालय,

श्रीमती आदर्श सक्सेना शपथ आयुक्त ग्वालियर

आवेदकगण/रिवीजनकर्तागण की ओर से अपील निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः–

1. यहकि, रिवीजनकर्ता द्वारा माननीय अपर आयुक्त महोदय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें स्थगन हेतु धारा 52 भू–राजस्व संहिता का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था, जो कि माननीय अपर आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 30.11.2016 को अंतरिम आदेश पारित कर निरस्त किया गया।

2. यहकि, उपरोक्त आदेश विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

2

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4148–दो/2016 जिला शिवपुरी

नारायणदास आदि विरूद्ध पुरूषोत्तमदास

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22–8–2019	प्रकरण का अवलोकन किया एवं प्रकरण में अनावेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायालय तहसीलदार कोलारस जिला शिवपुरी का आदेश आदेश दिनांक 12–2–2016, अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी का आदेश दिनांक 30–6–2016, अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग का आदेश दिनांक 12–7–2017, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 कोलारस जिला शिवपुरी का आदेश दिनांक 19–5–2005, जिला न्यायाधीश शिवपुरी का आदेश दिनांक 23–1–2006 एवं माननीय उच्च न्यायालय 16–12–2009 का अवलोकन किया। प्रकरण में निगरानी का आधार मात्र एक बिन्दु है कि अधीनस्थ न्यायालय अपर कमिश्नर ग्वालियर संभाग द्वारा अपने आदेश दिनांक 30–11–2011 से निगरानीकर्तागण का स्थगन आवेदन अस्वीकार किया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–11–2016 एक स्पीकिंग आर्डर है तथा उक्त आदेश में इस तथ्य का समावेश किया गया है कि 'इस विवाद को लेकर व्यवहार न्यायाल में प्रकरण चल चुका है। व्यवहार न्यायालय के द्वारा प्रकरण कमांक 144/2004 में पारित आदेश दिनांक 19–9–2005 के द्वारा अनावेदक पुरूषोत्तम को पूजा के लिए पात्र माना गया है एवं वादी अपीलार्थी (इस प्रकरण में निगरानीकर्ता) का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद खारिज किया गया है। अपीलार्थी द्वारा माननीय जिला न्यायाधीश एवं माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रथम एवं द्वितीय अपील अस्वीकार की जा चुकी है। अपीलार्थी के द्वारा कोई रोक आदेश किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे अनावेदक को पुजारी नहीं माना जा सके।'	

2/ उपरोक्त आदेश को यहां चुनौती दी गई है। इस न्यायालय में प्रकरण लंबित रहने के दौरान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश भी पारित किया जा चुका है, जिससे कि अब अधीनस्थ न्यायालय का अंतरिम आदेश प्रासंगिक नहीं रह जाता है। न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश व मान0 उच्च न्यायालय के समवर्ती आदेशों के पश्चात इस न्यायालय से विपरीत आदेश की आकांक्षा की जाना कतई औचित्यपूर्ण नहीं है। जैसा कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने प्रश्नाधीन आदेश में उचित ही ठहराया गया है कि स्थगन आदेश दिये जाने का कोई भी विधिक औचित्य प्रतिपादित नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में स्थगन आदेश न देकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नही की गई है। फलस्वरूप प्रकरण हस्तक्षेप योग्य न माना जाकर निगरानी अस्वीकार की जाती है।

पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(जे 0के0 जैन)
सदस्य